



Neutral Citation No. - 2026:AHC:129481

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 17867 वर्ष 2026

श्रीराम अग्रवाल

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : श्याम शंकर पांडे

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता., राम लखन देववंशी, सोनिया कुलश्रेष्ठ

न्यायालय संख्या - 73

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. आवेदक के अधिवक्ता श्री एस.एस. पांडे, प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 के अधिवक्ता श्री राम लखन देववंशी और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए.. श्री दीपक कुमार सिंह की बातें सुनी गईं।

2. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने संयुक्त रूप से कहा है कि वे अब कोई और हलफनामा दाखिल नहीं करना चाहते और इस अर्जी का फैसला रिकॉर्ड में मौजूद जानकारी के आधार पर किया जा सकता है। दोनों पक्षों की सहमति से, इस अर्जी पर सुनवाई के शुरुआती चरण (एडमिशन स्टेज) में ही फैसला किया जा रहा है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक का कहना है कि प्रतिवादी संख्या 2 ने नेगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत कार्यवाही शुरू की थी। इसके बाद विचारण शुरू हुआ और आपराधिक शिकायत मामला संख्या 2833/2024 (गौरव कुमार बनाम श्रीराम अग्रवाल) में 18.02.2026 को दिए गए फैसले और आदेश के ज़रिए, बागपत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आवेदक को दोषी ठहराया और उसे दो साल की साधारण कैद की सज़ा सुनाई। विचारण न्यायालय ने 80,00,000 रुपये का मुआवज़ा/जुर्माना भी लगाया, जिसमें से 75% शिकायतकर्ता को देने और बाकी रकम राज्य के पास जमा करने का निर्देश दिया गया।

4. उक्त फैसले और आदेश से असंतुष्ट होकर, आवेदक ने बागपत के सत्र न्यायाधीश की न्यायालय में आपराधिक अपील संख्या 29/2026, श्रीराम अग्रवाल बनाम गौरव कुमार, दायर की। अपील के साथ-साथ, सज़ा पर रोक, दोषसिद्धि पर रोक और वसूली पर रोक की मांग करने वाली एक अर्जी भी दायर की गई।

5. 18.03.2026 के आदेश द्वारा, अपीलीय न्यायालय ने बीएनएसएस की धारा 415 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सज़ा पर रोक लगाने का निर्देश दिया, बशर्ते आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा तय किए गए मुआवज़े का 20% हिस्सा जमा करे।

6. 18.03.2026 के उक्त आदेश को चुनौती देते हुए यह याचिका दायर की गई है।

7. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि मुआवज़े का 20% हिस्सा जमा करने का आदेश बिना सोचे-समझे जारी किया गया है। उनका तर्क है कि भले ही 'नेगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट्स एक्ट' की धारा 148 अपील न्यायालय को मुआवज़े का कुछ हिस्सा जमा करने का आदेश देने का अधिकार

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



देती है, लेकिन यह अधिकार न्यायालय की अपनी समझ पर निर्भर करता है और इसे हर मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समझदारी से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अपील न्यायालय को यह देखना चाहिए था कि क्या मामला किसी ऐसी खास श्रेणी में आता है जिसके लिए ऐसे आदेश की ज़रूरत हो। इस तर्क के समर्थन में, माननीय सुप्रीम न्यायालय के '*जम्बू भंडारी बनाम एम.पी. स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड व अन्य*' (2023) 10 एससीसी 446 और '*मुस्कान एंटरप्राइजेज व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य*' 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 4107 के फैसलों का हवाला दिया गया है।

8. आवेदक के अधिवक्ता ने अपने क्लाइंट के निर्देश पर कहा है कि आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा तय किए गए मुआवज़े की रकम का 10% जमा करने को तैयार है।

9. इसके उलट, विद्वान ए.जी.ए.. और प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक एक दोषी व्यक्ति है और कार्यवाही के दौरान उसने तत्परता नहीं दिखाई है। हालाँकि, प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 के अधिवक्ता ने निष्पक्ष रूप से कहा है कि अगर आवेदक को मुआवज़े की रकम का 10% जमा करने का निर्देश दिया जाता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते अपीलीय न्यायालय को बिना किसी अनावश्यक स्थगन के अपील पर जल्द से जल्द फैसला करने का निर्देश दिया जाए।

10. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी हैं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।



11. यह सच है कि विचारण न्यायालय ने याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया है और उसने बीएनएसएस की धारा 415 के तहत अपील दायर की है। अपीलीय न्यायालय ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 148 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, याचिकाकर्ता को मुआवज़े की रकम का 20% जमा करने का निर्देश दिया है। विवादित आदेश को देखने से पता चलता है कि अधिकतम स्वीकार्य रकम जमा करने का निर्देश क्यों दिया गया, इसके लिए कोई कारण नहीं बताया गया है; और न ही अपीलीय न्यायालय ने इस बात पर विचार किया है कि क्या मौजूदा मामले के तथ्यों के आधार पर ऐसा निर्देश देना उचित था। माननीय सुप्रीम न्यायालय द्वारा 'जम्बू भंडारी बनाम एम.पी. स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य' और 'मुस्कान एंटरप्राइजेज और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य' के मामलों में तय किए गए कानून को देखते हुए, विवादित आदेश में बदलाव की ज़रूरत है।

12. चूंकि दोनों पक्षों के अधिवक्ता इस बात पर सहमत हैं कि मुआवज़े की रकम का 10% जमा करने से दोनों पक्षों के हितों की ठीक से रक्षा होगी, इसलिए यह याचिका इन निर्देशों के साथ निपटाई जाती है:-

(i) आपराधिक अपील संख्या 29/2026 (श्रीराम अग्रवाल बनाम गौरव कुमार और अन्य) में बागपत के सत्र न्यायाधीश द्वारा 18.03.2026 को दिए गए आदेश में इस हद तक बदलाव किया जाता है कि विचारण न्यायालय द्वारा तय मुआवज़े की रकम का 20% जमा करने के बजाय, आवेदक को उसका 10% जमा करना होगा। इसके अनुसार, आवेदक को संबंधित न्यायालय में 17.07.2026 तक 8,00,000 रुपये जमा करने होंगे और जमा करने का सबूत अपीलीय न्यायालय के सामने पेश करना होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) ऐसी जमा राशि के बाद, अपीलीय न्यायालय आपराधिक अपील संख्या 29/2026 का फैसला तेज़ी से और पूरी तरह से कानून के अनुसार करने की हर संभव कोशिश करेगी, और बिना वजह सुनवाई टालने से बचेगी। अगर सुनवाई टालनी पड़ती है, तो आम तौर पर कार्यवाही के किसी भी चरण में यह 15 दिनों से ज़्यादा नहीं होगी।

(iii) अगर आवेदक 17.07.2026 तक बताई गई राशि जमा नहीं कर पाता है, तो इस न्यायालय से मिली सुरक्षा अपने-आप खत्म हो जाएगी, और अपीलीय न्यायालय के पास कानून के अनुसार आगे की कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

13. कार्यवाही समाप्त करने से पहले, आवेदक के अधिवक्ता श्री एस.एस. पांडे और प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 के अधिवक्ता श्री राम लखन देववंशी ने संयुक्त रूप से कहा है कि वे अपील न्यायालय को पूरा सहयोग देंगे और अनावश्यक रूप से सुनवाई टालने की मांग नहीं करेंगे।

14. ऊपर बताई गई बातों और निर्देशों के साथ, यह याचिका **निस्तारित** की जाती है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

29 जून, 2026

सुषमा